

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1026 / 2012 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-अ, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी,  
गढ़सवाईराम, राजगढ़, अलवर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर ( जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा ) के द्वारा अपील संख्या 247 / आरवेट / 2010-11 / उपा / अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत आरोपित कर रुपये 37,670/-, ब्याज रुपये 10,541/- व शास्ति रुपये 75,339/- कुम मांग राशि रुपये 1,23,556/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में रुपये 3,01,355/- का ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2011 में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रुपये 37,670/-, ब्याज रुपये 10,547/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 75,339/- का आरोपण किया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2011 से स्वीकार की जाकर उक्त कर, ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।



लगातार.....2

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्था व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज का अरारोपण किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में "विक्रय मूल्य" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

**Sec. 2(36) "Sale Price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount/or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act.

**"Explanation II"** :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price but the burden of such proof shall lie on the dealer."

इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) के रूप में प्राप्त राशियों को विक्रय मूल्य का भाग मानकर प्रकरण में कर व ब्याज के साथ-साथ शास्ति का आरोपण किया गया, जो पूर्णतया अनुचित है क्योंकि व्यवहारी को जो प्राप्तियां डिस्काउण्ट के रूप में प्राप्त हुई है वे विक्रयों से प्राप्त प्राप्तियां नहीं है। इस तरह अनुचित रूप से किये गये करारोपण का अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश के जरिये अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



( के.एल.जैन )  
सदस्य